



दिनांक 20.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 19.12.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मनोज पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर हाल पता गली न0 5 मधुबन विहार कालौनी आईटीसी रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की कोलिङ्क मे नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो खेचना व फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैक मैल कर बार-बार जबरदस्ती दुष्कर्म करना व वादिया का पीछा करना व वादिया के भाई को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 752/25 धारा 64(2)M/351(3)/78 बीएनएस के पंजीकृत किया गया ।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.12.2025 को मुख्यमंत्री की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर हाल पता गली न0 5 मधुबन विहार कालौनी आईटीसी रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को हसनपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मनोज पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर हाल पता गली न0 5 मधुबन विहार कालौनी आईटीसी रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- उ0नि0 उ0नि0 विकास कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
- है0का0 753 अमरपाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
- का0 243 रोहित तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 20.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार टीम द्वारा नाबालिंग के साथ दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 18.12.2025 को वादिया की दाखिला तहरीर बावत अभियुक्त शायान पुत्र नदीम अब्बास निवासी पुरानी मण्डी सराय मर्दान अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिंग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाना व जबरदस्ती दुष्कर्म करना व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 749/25 धारा 64(1)/137(2)/351(2)बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2025 को मुख्यमंत्री की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त शायान पुत्र नदीम अब्बास निवासी पुरानी मण्डी सराय मर्दान अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को रेलवे सो क्वार्टर रेलवे ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शायान पुत्र नदीम अब्बास निवासी पुरानी मण्डी सराय मर्दान अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 विमल सैनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
- है0का0 159 गौरव पूनिया थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
- पीआरडी धर्मवीर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 20.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रविन्द्र पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त पंकज उर्फ़ ऋषभ पुत्र डॉ० अशोक भारद्वाज निवासी सुक्खुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर (संबंधित वाद संख्या- 6459/25 मु०आ०स०- 122/22 धारा 323/354/ 354डी/506/507 भादवि चालानी थाना जनकपुरी) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

पंकज उर्फ़ ऋषभ पुत्र डॉ० अशोक भारद्वाज निवासी सुक्खुपुरा बेरीबाग थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- म०उ०नि० सुश्री मोनिका यादव, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
- कां० 1751 अजय कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।


-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा
तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में अवैध मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.12.2025 को गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सुहैल पुत्र जाहिद नि0 उस्मानिया मर्सिजद के बराबर वाली गली राजपुत कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास नकुड़ तिराहा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु03010सं0 556/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुहैल पुत्र जाहिद नि0 उस्मानिया मर्सिजद के बराबर वाली गली राजपुत कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 1 किलो 50 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री नितीन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 854 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाषचन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1025 रविन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1823 श्रवण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 20.12.2025

-प्रेस नोट-

आँपरेशन स्वेरा-2.0 के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, पिट-एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत बंदी को किया गया निरुद्धा।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सचिव (गृह विभाग) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पिट-एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस्लाम पुत्र कमरुदीन, निवासी ग्राम मैनपुरा उर्फ मोहनपुरा, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर को भविष्य में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के उद्देश्य से निरुद्ध बंदी किया गया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था, समाज की सुरक्षा तथा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के दृष्टिगत की गई है।

निरोधात्मक आदेश के अनुपालन में संबंधित अभियुक्त को जिला कारागार, सहारनपुर में निरुद्ध रखा गया है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सरकार एवं पुलिस प्रशासन की जीरो टॉलरेन्स नीति को दर्शाती है।

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं वितरण से जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर सतर्कता एवं कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नशामुक्त एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।



दिनांक 20.12.2025

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल 1,00,000/- रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.12.2025 को पीडित राकेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम नयागांव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा अपने फोन से UPI के माध्यम से कुल 1,00,000/- रूपये निकल जाने की सूचना थाना नकुड़ पर आकर दी गयी थी। जिस पर थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत सं0 23112250204889 दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नुकड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत संख्या 23112250204889 में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित की धनराशी होल्ड करायी गयी थी।

इसी क्रम में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते कुल 1,00,000/- (एक लाख रूपये) रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित को वापस करायी गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- कम्प्यूटर आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- कां0 2194 लक्ष्मण प्रसाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



मिशन शक्ति फेज 5.0- के अन्तर्गत थाना मण्डी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा घर से नाराज होकर आई नाबालिंग लड़की को काउंसलिंग कर उसके परिवारजनो को सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 20.12.2025 को अपने घर से अपनी माँ से नाराज होकर थाना पर उपस्थित आई एक नाबालिंग लड़की को **मिशन शक्ति फेज 5.0- के अन्तर्गत थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता** के आधार पर थाने की **मिशन शक्ति फेज- 5.0 की** महिला हेल्प डेर्स्क पर नियमानुसार काउंसलिंग कर लड़की के पिता की सुपुर्दगी में दिया गया।

काउंसलिंग करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0हे0का0 885 सोनी यादव मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. महिला काउंसलर मुर्स्कान थाना मण्डी सहारनपुर।



दिनांक 20.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-01 जनपद सहारनपुर द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 02 लाख 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.03.2019 को वादी अब्दुल कादिर पुत्र सनाउल्ला खां निरो ग्राम सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर के भतीजे को अभियुक्तगण 1.मतीन पुत्र हसीन 2.मुकीम पुत्र मुस्तकीम 3.शहजाद पुत्र कैसर समस्त निवासीगण ग्राम सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भतीजे शोएब उम्र 16 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0-57/2019 धारा 302/120बी भादवि थाना गागलहेड़ी पर तथा अभियुक्त 1.मतीन पुत्र हसीन निवासी ग्राम सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर के कब्जे से 01 देशी पिस्टल मय 02 कारतूस जिन्दा (आला कत्ल) संबंधित मु0अ0सं0-57/19 धारा 302 भादवि थाना गागलहेड़ी बरामद होने की सूचना मु0अ0सं0-261/2019 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना मण्डी पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग क्रमशः एसटी नं0-355/2019 व 356/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मानिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्तगण 1.मतीन पुत्र हसीन 2.मुकीम पुत्र मुस्तकीम निरोगण ग्राम सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर को थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-57/2019 धारा 302/120बी भादवि का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 02 लाख रु0 के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त 1.मतीन पुत्र हसीन निरो ग्राम सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-261/2019 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट का दोषी पाते हुए सजा 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:-अभियुक्त 1.शहजाद पुत्र कैसर समस्त निरोगण ग्राम सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-57/2019 में धारा 302/120बी भादवि में दोषमुक्त किया जाता है।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री राजवीर सिंह

विवेचक-निरी0 श्री प्रेमवीर राणा

पैरोकार-है0का0-66 अमरीश कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना में वांछित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.12.2025 को वादी श्री सैफुल पुत्र इमरान निवासी बकरीवाला चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दानिश उर्फ तोता पुत्र शाहिद निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी के साथा गाली गलौच व मारपीट करना व जान से मारने की नीयत से वादी के पेट व जांघ पर चाकू से वार करना जिससे वादी को गम्भीर छोट आने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 516/25 धारा 109/115(2)/352/351(2)/118(1) बीएनएस में पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाहक प्रभारी कुतुबशेर को आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक एच0एन0सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2025 को मुख्यबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 01 शातिर अभियुक्त दानिश उर्फ तोता पुत्र शाहिद निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर को हाजी बाल बैरिंग स्टोर रेंच के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त दानिश को घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त ने पूछताछ पर जुर्म का इकबाल करते हुए एक स्वर में बताया कि साहब दिनांक 30.11.25 को शाम के समय मैं शराब पीने के लिए सैफुल से पैसे मांग रहा था उसने मुझे पैसे देने से मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया और उसके ऊपर दो बार चाकू से हमला कर दिया था जो उसके पेट व जांघ पर लगे थे। मुझसे गलती हो गयी है बाकी की सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में दे दुंगा।।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

दानिश उर्फ तोता पुत्र शाहिद निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0स0 270/24 धारा 309 (4)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 316/24 धारा 3/25/27 आर्स एक्ट व धारा 109/317(5) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 506/24 धारा 115 (2)/304(2)/324(3)/352 बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 472/17 धारा 324 आईपीसी थाना मण्डी जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 54/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 374/20 धारा 4/25 आर्स एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 155/21 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
- मु0अ0स0 156/21 धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर

9. मु0अ0स0 339/21 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
10. मु0अ0स0 340/21 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
11. मु0अ0स0 341/21 धारा 4/25 आम्स्र एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर
12. मु0अ0स0 465/21 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
13. मु0अ0स0 152/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
14. मु0अ0स0 153/22 धारा 3/25 आम्स्र एक्ट थाना मण्डी जिला सहारनपुर
15. मु0अ0स0 275/23 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
16. मु0अ0स0 293/24 धारा 115 (2)/118(2)/191(2)/191 (3)/333/351 (3)/74 बीएनएस थाना मण्डी
17. मु0अ0स0 516/25 धारा 115 (2)/118 (1)/351(2)/352 बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

6. प्रभारी निरीक्षक एच0एन0सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 धीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. का0 1806 योगेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 20/12/2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 20/12/25 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल निवासी मौहल्ला सराय मखदूमजहाँ कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को कस्बा गंगोह में मौ०सराय टंकी के सामने से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 40 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा यू०पी० मार्का बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 610/25 धारा 60 आबकारी एकट पंजीकृत किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पकड़े गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं ठेके से शराब खरीदकर लाता हूँ व आसपास के गांवों में जाकर शराब पीने वाले व्यक्तियों को थोड़े मंहगे दामों में शराब बेचकर अधिक पैसे कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बिजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल निवासी मौहल्ला सराय मखदूमजहाँ कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 40 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा यू०पी० मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- है०का० 1013 राहुल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- का० 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 42 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब

यू०पी० मार्का बरामद -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 20/12/25 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त देशराज पुत्र नकली निवासी ग्राम मछरौली थाना गंगोह सहारनपुर को मछरौली से दूधला की तरफ जाने वाले तिराहे गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 42 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा यू०पी० मार्का बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 608/25 धारा 60 आबकारी एकट पंजीकृत किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं ठेके से शराब खरीदकर लाता हूँ व आसपास के गांवों में जाकर शराब पीने वाले व्यक्तियों को थोड़े मंहगे दामों में शराब बेचकर पैसे कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. देशराज पुत्र नकली निवासी ग्राम मछरौली थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 42 पाउच (टेट्रा पैक) देशी शराब महबूबा यू०पी० मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

4. उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

5. है०का० 1013 राहुल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

6. का० 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20-12-2025

थाना गंगोह मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा ईदगाह उर्स मेला मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्वील फब्तियां कसने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा चैकिंग व मनचले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2025 को गश्त व चैकिंग के दौरान थाना गंगोह मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा ईदगाह उर्स मेला कस्बा गंगोह मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्वील फब्तियां कसने वाले मनचले अभियुक्त दीपक पुत्र सुभाष निवासी मौ0 मकदूम जंहा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को बिजलीघर से ग्राम लखनौती जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 609/25 धारा 296 बी0एन0एस0 बनाम दीपक पुत्र सुभाष निवासी मौ0 मकदूम जंहा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

- दीपक पुत्र सुभाष निवासी मौ0 मकदूम जंहा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 410/24 धारा 305क/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- म0उ0नि खुशबू थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- म0है0का0 944 कविता मलिक थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 20.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी के अभियोगो में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 भिगोना व 480/-रुपये नकद बरामद-

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.04.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय याहियापुर के रसोई घर से सामान चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 87/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया। एवं दिनांक 24.04.2025 को वादी की तहरीर पर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा ग्राम सोनाअर्जुनपुर मे स्थित रविदास मन्दिर के दो दानपत्रो की चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 91/25 धारा 305(डी) मे पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2025 को उपरोक्त दोनो मुदकदमो मे वांछित चल रहे अभियुक्त शाहरुख पुत्र स्व0 फारुख निवासी मौ0 पीरमाजरा ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से 480/-रुपये व निशादेही पर एक भगोना बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

शाहरुख पुत्र स्व0 फारुख निवासी मौ0 पीरमाजरा ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 480 रुपये संबंधित मु0अ0सं0 91/25 धारा 305(डी)/317(2) बीएनएस
- 01 भगोना संबंधित मु0अ0सं0 87/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना नानौता, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 205 विपिन कुमार, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1315 राहुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक- 20.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8,000/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.25 को वादी मुकदमा वादी मुकदमा की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी की मोटर जनरेटर चोरी करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 225/25 धारा 303(2) बीएनएस तथा दिनांक 04.11.2025 को वादी की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी के घर से जेवरात व एलईडी व 25000/- रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 312/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी गये सामान की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये खाटू श्याम कालोनी गेट के पास से अभियुक्त मोहित पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम जयसिंघा थाना तेहपुर जनपद सहारनपुर गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 312/25 धारा 305ए बीएनएस से सम्बन्धित 6000/- रूपये तथा मु0अ0सं0 225/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 2000/- रूपये बरामद हुए। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम जयसिंघा थाना तेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 8000/- रूपये

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 324/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 225/25 धारा धारा 303(2) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 312/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 संजय कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 231 रोहित सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक 20.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पच्चे देशी शराब महबूबा
मार्का के साथ किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण पर कार्यवाही के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में दिनांक 19.12.25 को थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त **शहबान पुत्र तासीन निवासी ग्राम रिडी ताजपुरा** थाना बेहट जनपद सहारनपुर को आनन्द बाग कालोनी से 22 पच्चे देशी शराब महबूबा मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0- 659/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. शहबान पुत्र तासीन निवासी ग्रामीण रिडी ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहबान—

1. मु0अ0स0- 258/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- का0 1802 बिट्टू थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक 20.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पव्वे देशी शराब रसभरी मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण पर कार्यवाही के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में दिनांक 20.12.25 को थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त अमजद पुत्र असरफ निवासी मुखियोवाली कालौनी कस्बा व थाना मिर्जापुर स0पुर हाल पता रहमान कालौनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर को गागरो नदी पुल से 24 पव्वे देशी शराब रसभरी मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 660/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. अमजद पुत्र असरफ निवासी मुखियोवाली कालौनी कस्बा व थाना मिर्जापुर स0पुर हाल पता रहमान कालौनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0- 108/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- का0 1802 बिडू थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 20.12.2025

थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 टुकड़े वायर/तार 02 एसी के कापर के पाईप बरामद-

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण: -

दिनांक 05.12.25 को श्री श्री अमित कुमार सैनी प्रभारी / मण्डी निरीक्षक मैगो पैक हाऊस कृषि उत्पादन मण्डी जनपद सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा मैगो पैक हाऊस से कोल्डरूम व प्री0 कैन्ड्र के पाईप व तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी मु0अ0सं0- 529/25 धारा- 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरण: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.12.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान उपरोक्त मुकदमें में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 चोर/अभियुक्त गुलफिशान पुत्र जीशान अहमद निवासी घास कांटे के पास रायवाला थाना मण्डी जिला सहारनपुर को मंडी समिति के खंडहर भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुलफिशान पुत्र जीशान अहमद निवासी घास कांटे के पास रायवाला थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 03 टुकड़े वायर/तार
- 02 एसी के कापर के पाईप

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 214/2021 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 141/2021 धारा 379/411 भादवि कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 233/2019 धारा 60 आबकारी अधियो थाना मण्डी जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 529/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2528 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2358 तरुण कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 20.12.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 16 पाऊच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.12.2025 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त सारिक पुत्र लईक अहमद निवासी मौहल्ला दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को शोहराब रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 16 पाऊच देशी शराब बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-291/25 धारा-60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सारिक पुत्र लईक अहमद निवासी मौहल्ला दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

16 पाऊच अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- का0 2546 नवीत कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 20-12-2025

थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फबितयां कसने वाले 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2025 को गश्त व चैकिंग के दौरान थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा शोभित यूनिवर्सिटी तिराहा गंगोह बाईपास पर आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फबितयां कसने वाले मनचले अभियुक्त कुलदीप पुत्र अजब सिंह निरुपम गाँधी नगर थाना गंगोह जिला सहारनपुर को यूनिवर्सिटी तिराहा से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु030सं0 611/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

कुलदीप पुत्र अजब सिंह निरुपम गाँधी नगर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु030सं0 89/21 धारा 414/420/465/482 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- मु030सं0 75/21 धारा 379/411/420/465 भादवि थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- है0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- म0का0 2153 राखी भाटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।